



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.03.24

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 05 मोबाइल फोन व चोरी के मोबाइल फोन बेच कर प्राप्त 6540/- रू० बरामद ।

दिनांक 16.03.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर घरों में घुसकर चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त अभय कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी गुर्जर चौक गली नम्बर-4 आदर्शनगर थाना आदर्शनगर बल्लभगढ हरियाणा मूल निवासी गांव मिशेचक्केलपुर थाना नौतन जिला सीवान बिहार उम्र 18 वर्ष को खण्डर बिल्डिंग आनन्द विहार से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 05 मोबाइल फोन व चोरी के मोबाइल फोन बेच कर प्राप्त 6540/- रुपये बरामद हुए । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाह की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता: –

अभय कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी गुर्जर चौक गली नम्बर-4 आदर्शनगर थाना आदर्शनगर बल्लभगढ हरियाणा मूल निवासी गांव मिशेचक्केलपुर थाना नौतन जिला सीवान बिहार उम्र 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

- भिन्न-भिन्न कम्पनी के चोरी के 05 मोबाइल फोन ।
- चोरी के मोबाइल फोन बेच कर प्राप्त 6540/- रूपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा एटीएम से फ्रॉड करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 83 प्लेट (लोहे की) , 02 बोकी टोकी , 06 टेप, 01 लकड़ी का कवर , 01 कैंची टेप काटने वाली ,02 पेचकस ,11 एटीएम कार्ड , 02 आधार कार्ड, 01 पेन कार्ड , 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस, 57000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 14.03.2024 को थाना खोड़ा पर वादिया द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा वादिया के एटीएम से छेड़छाड़ कर एकाउंट से 15000/- रुपये की धन राशि निकालने सम्बन्ध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। तत्काल टीमों का गठन कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 15.03.2024 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों 1.आरिफ पुत्र ताहिर निवासी नहतौर मौहल्ला नौदहा निकट मदरसा थाना नहतौर जिला बिजनौर उम्र करीब 34 वर्ष हाल नि0 गली नं0 16 डी ब्लाक खुशहाल पार्क लोनी नियर पिज्जा बिन्स थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद 2.अफरोज आलम पुत्र नौशाद आलम नि0 बिलादम थाना पाटेपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल पता म0नं0 1751 ई ब्लाक रामपार्क लोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष को इन्दिरापुरम अंडर पास नहर की पटरी से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 83 प्लेट लोहे की, 02 बोकी टोकी, 06 टेप, 1 लकड़ी का कवर, 01 कैची टेप काटने वाली, 02 पेचकस, 11 एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 पेन कार्ड, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस 57000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. आरिफ पुत्र ताहिर निवासी नहतौर मौहल्ला नौदहा निकट मदरसा थाना नहतौर जिला बिजनौर उम्र करीब 34 वर्ष हाल नि0 गली नं0 16 डी ब्लाक खुशहाल पार्क लोनी नियर पिज्जा बिन्स थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद
2. अफरोज आलम पुत्र नौशाद आलम नि0 बिलादम थाना पाटेपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल पता म0नं0 1751 ई ब्लाक रामपार्क लोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष को इन्दिरापुरम अंडर पास नहर की

बरामदगी का विवरण:

- 83 प्लेट लोहे की, 02 बोकी टोकी, 06 टेप, 1 लकड़ी का कवर, 01 कैची टेप काटने वाली, 02 पेचकस, 11 एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 पेन कार्ड, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस 57000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

- थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 100 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का कुल 18 लीटर बरामद।

दिनांक 16.03.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 शातिर अभियुक्त 1.शादाब पुत्र मुल्ला खान निवासी म0न0 367 गली न0 8 राजीव नगर डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष, 2.हुसैन पुत्र जावेद निवासी छाबडा कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को ताहिरपुर कट शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 100 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का कुल 18 लीटर बरामद। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण

1. शादाब पुत्र मुल्ला खान निवासी म०न० 367 गली न० 8 राजीव नगर डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गा० बाद उम्र 23 वर्ष
2. हुसैन पुत्र जावेद निवासी छाबडा कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

बरामदगी विवरण-

- 100 पच्चे अवैध देशी शराब मात्रा 18 लीटर अवैध शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भूमाफिया /गैंग लीडर कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी एवं गैंग के सदस्य सिकन्दर अली की ग्राम मीरपुर हिन्दू में स्थित करीब 17 करोड की बेनामी/नामी अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया।

भूमाफिया कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी का एक संगठित गिरोह है। जिसके द्वारा वर्ष 2011 से अब तक आम जनता के साथ धोखाधडी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से प्लाट/जमीन बेची गयी है। तथा गैंग लीडर कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी एवं गैंग के सदस्यों द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर नामी व बेनामी सम्पत्ति अर्जित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद पर मु०अ०सं० 549/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम बनाम कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी आदि पंजीकृत है । थाना लोनी पुलिस द्वारा भूमाफिया/गैंग लीडर कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी एवं गैंग के सदस्यों द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर अर्जित की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के द्वारा वाद सं० 03/2024 बनाम कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी आदि में पारित आदेश दिनांक 11-03-2024 के अनुपालन में गैंग लीडर कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी एवं गैंग के सदस्य सिकन्दर अली की करीब 17 करोड की बेनामी/नामी अचल सम्पत्ति 1. खसरा नं० 1166 खाता सं० 169 कृषि भूमि ग्राम मीरपुर हिन्दु परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद की 0.4320 हैक्टेयर 2. खसरा नं० 1166 खाता सं० 169 कृषि भूमि ग्राम मीरपुर हिन्दु परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद की 0.4320 हैक्टेयर 3. खसरा नं० 1166 खाता सं० 169 कृषि भूमि ग्राम मीरपुर हिन्दु परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद की 0.4320 हैक्टेयर 4. खसरा नं० 1168 मि० आवासीय प्लाट यमुना सिटी फेस – 1 हदबस्त ग्राम मीरपुर हिन्दु परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद को थाना लोनी पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट मे नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 16-03-2024 को कुर्क / जब्त की गई । जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 17 करोड रुपये है ।

अभियुक्त कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी म०न० 255 मौहल्ला न्यू सभापुर गुजरान थाना करावलनगर दिल्ली कुर्क / जब्त की गई सम्पत्ति का विवरण-

1. खसरा नं० 1166 खाता सं० 169 कृषि भूमि ग्राम मीरपुर हिन्दु परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद की 0.4320 हैक्टेयर
2. खसरा नं० 1166 खाता सं० 169 कृषि भूमि ग्राम मीरपुर हिन्दु परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद की 0.4320 हैक्टेयर

3. खसरा नं0 1166 खाता सं0 169 कृषि भूमि ग्राम मीरपुर हिन्दु परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद की 0.4320 हैक्टेयर

अभियुक्त सिकन्दर अली पुत्र कौशर अली निवासी 251 न्यू सबहपुर गुजरान करावलनगर दयालपुर नोर्थ ईस्ट दिल्ली कुर्क / जब्त की गई सम्पत्ति का विवरण-

खसरा नं0 1168 मि0 आवासीय प्लाट यमुना सिटी फेस – 1 हदबस्त ग्राम मीरपुर हिन्दु परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/लूट के 03 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 16.03.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 02 शातिर अभियुक्त 1.साहिल पुत्र सलमान उर्फ मदन निवासी इन्द्रा पब्लिक स्कूल के सामने पसौन्डा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र लगभग 20 वर्ष, 2. राहुल पुत्र अनिल निवासी मो विक्रम एन्कलेव गली न0 02 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को प्रयास पार्क के पास बंगाली कालोनी शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से चोरी/लूट के 03 मोबाइल फोन बरामद हुए । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

3. साहिल पुत्र सलमान उर्फ मदन निवासी इन्द्रा पब्लिक स्कूल के सामने पसौन्डा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र लगभग 20 वर्ष
4. राहुल पुत्र अनिल निवासी मो विक्रम एन्कलेव गली न0 02 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

बरामदगी विवरण-

- लूट / चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।
-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1150 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 16.03.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 01 शातिर अभियुक्त सागर पुत्र राकेश निवासी म0न0 116 गली न0 01 मोहल्ला विक्रम एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन उम्र 22 को तिकोना पार्क के पास शालीमार गार्डन

से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 1150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण

सागर पुत्र राकेश निवासी म०न० 116 गली न० 01 मोहल्ला विक्रम एन्कलेब थाना शालीमार गार्डन उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

- 1150 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी व चोरी के अभियोग में बांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10/03/2024 को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री कमल सिंह निवासी ग्राम चामुड गली नं० 10 घूकना नन्दग्राम कमिश्नेरट ग़ाज़ियाबाद ने सूचना दी कि उनकी गाड़ी हुण्डई एक्सेन्ट कैव को अभियुक्त निशान्त व लोमेश कसाना ट्राई करने बहाने चोरी कर ले गये।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 16-03-24 को चेकिंग के दौरान मुखिबर की सूचना पर 01 अभियुक्त लोमेश कसाना पुत्र बलवन्त निवासी सी-45 गली न०- 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर नार्थ ईस्ट दिल्ली। उम्र करीब 37 वर्ष को मोरटी तिराहा राजनगर एक्सटेंशन के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने व मेरे साथी निशान्त ने गाड़ी के ट्राइल का बहाना बनाकर वहाँ से गाड़ी लेकर भाग गए थे साथ ही साथ अभियुक्त ने बताया की मेरे द्वारा गाड़ी मालिकों से कम कीमत में खरीदकर फर्जी आधार कार्ड व फर्जी इकरारनामा तैयार कर स्वयं गाड़ी मालिक बन गाड़ियों पर लोन छिपाकर गाड़ी को बेच दिया था। गाड़ियों को इस तरह बेचने से हम लोगों को मोटा मुनाफा होता है।

अभि०गण का नाम व पता—

लोमेश कसाना पुत्र बलवन्त निवासी सी-45 गली न०- 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर नार्थ ईस्ट दिल्ली। उम्र करीब 37 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभि० लोमेश कसाना पुत्र बलवन्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी का 01, धोखाधड़ी का 01, कुल 02 अभियोग कमि० ग़ाज़ियाबाद में पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 27 कट्टे मैक्रोनी बरामद ।

दिनांक 08.03.2024 को वादी ने मैक्रोनी व पास्ता को धोखाधड़ी कर चोरी करने के संबंध में थाना सिहानी गेट पर तहरीर दी, जिस पर थाना सिहानी गेट पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

घटना में शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया । सभी पुलिस टीमों द्वारा अथक प्रयास, मोबाइल सर्विलांस, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर धोखाधड़ी कर माल चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त विवेक गोयल को चोरी किये गये समान के साथ दिनांक 15.03.2024 को होली चाईल्ड चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्त विवेक गोयल ने बताया कि साहब मैंने EMIQUAL FOODS AND PACKING कम्पनी सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर के मैनेजर अखिलेश को अपना नाम विपिन गर्ग बताकर 113 कट्टे मैक्रोनी व पास्ता का आर्डर किराना मण्डी गाज़ियाबाद के पते पर दिया था । माल को मैंने दो छोटा हाथी बुक कर उनमें लोड करा दिया तथा कम्पनी के मैनेजर अखिलेश को पैसे देने की बात कहकर मैं उसे एक चाय की दुकान पर बैठाकर अपना मोबाईल बन्द कर लिया तथा माल को लेकर मैं मोदीनगर आ गया वहाँ से मैंने एक और केन्टर किराए पर लेकर माल को छिजारसी टोल के पास बने खंडहर में छिपा दिया । अधिकतर माल को मैंने घूमते फिरते लोगो को सस्ते दामों पर बेच दिया , जो पैसे मुझसे बरामद हुये है उसी माल के पैसे हैं आज भी मैं छोटा हाथी लेकर बचे हुए माल को बेचने गाज़ियाबाद आया था ।

नाम पता अभियुक्त-

विवेक गोयल पुत्र प्रमोद गोयल, नि0 टीएसएस पब्लिक स्कूल, जेके कालोनी, हापुड देहात, हापुड ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 27 कट्टे मैक्रोनी
2. 12250/- रूपये
3. घटना में प्रयुक्त वाहन (छोटा हाथी)
4. घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद अमरोहा व हापुड में चोरी व आर्म्स एक्ट से संबन्धी एवं कमिश्नेट गाज़ियाबाद में चोरी से संबन्धी कुल 3 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम:-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चाचा की हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त को घटना के 12 घण्टे के अन्दर किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ईट एवं पत्थरनुमा टुकड़ा बरामद ।

दिनांक 15.03.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में विकास कुञ्ज खेत (खाली पड़े प्लॉट) में गड्डे में निखिल पुत्र मांगेलाल निवासी विकासकुञ्ज बी-ब्लॉक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने अपने चाचा मुकेश पुत्र रामलडेते नि० पटवा मंदिर के पास सोनिया नगर गली न० 3 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद की जान से मारने की नियत से ईट एवं पत्थर से हमला किया है । जिसमें मुकेश की हालत गंभीर है । उक्त सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि उक्त घटना घटित होने के बाद स्थानीय लोगो द्वारा उपचार हेतु मुकेश को जीटीबी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी है । घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर मृतक के भाई नारायण द्वारा निखिल पुत्र मांगेलाल नि० विकासकुञ्ज बी-ब्लॉक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के विरुद्ध तहरीर दी गयी है । तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया । तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया । जिसके क्रम में आज दिनांक 16.03.24 को घटना के 12 घंटे के अन्दर ही सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त निखिल उपरोक्त को राहुल गार्डन तिराहा से गिरफ्तार किया गया । जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकल (ईट एवं पत्थरनुमा टुकड़ा) बरामद । अभियुक्त निखिल उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ करने पर अभियुक्त निखिल उपरोक्त ने बताया कि साहब हम लोग पहले अपने चाचा मुकेश के ही मकान में रहते थे । इस मकान को खरीदने में मेरे पापा ने भी पैसे दिए थे जिसके बाद मेरे चाचा मुकेश ने हमसे मकान भी खाली करा दिया और पैसे भी नहीं दिए हम लोग किराये पर रहने लगे । मैंने कल शराब पी और नशे में मुझे वही बात याद आ गयी और नशे में मैंने अपने चाचा मुकेश के सिर पर ईट एवं पत्थर से हमला कर दिया । जिसके बाद मैंने ईट का टुकड़ा वही छुपा दिया था और पकड़े जाने के डर से भाग गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता--

निखिल पुत्र मांगेलाल नि० विकासकुञ्ज बी ब्लॉक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम